रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2683] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 2683] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHANYANA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3380(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में शामिल है को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 3-6-2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-06-2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-12-2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/7/2011-आईआर(पीएल)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3380(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947), the services in Industry 'Iron and Steel industry' which is covered by item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from the 15th June, 2015 vide this Ministry's Notification dated 3-6-2015.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purposes of the aforesaid Act, for a period of six months from the 15th December, 2015.

[F. No. S-11017/7/2011-I R (PL)]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.